बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

संकल्प संख्या – 6/आस्वा0–1–108/2001(खंड) –1774 पटना, दिनांक 26/11/07

विषयः– राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में चापाकलों के निर्माण हेतु स्थल चयन में पारदर्शिता लाने के लिए पंचायत स्तर पर स्थल चयन समिति का गठन ।

1. बिहार पंचायत राज अधिनियम–1993 के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या–1169, दिनांक 24.09.2001 के द्वारा चापाकलों के निर्माण एवं स्थल चयन हेतु शक्तियों का प्रतिनिधायन पंचायतों को किया गया है। विभागीय संकल्प संख्या –2235, दिनांक 30.05.2005 के द्वारा उपर्युक्त संकल्प में आंशिक संशोधन किये गये हैं, जिसके आलोक में चापाकलों के निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है तथा स्थल चयन का दायित्व पंचायतों को है।

2. पंचायत स्तर पर चापाकलों के निर्माण हेतु स्थल चयन की प्रकिया को और पारदर्शी एवं जनोपयोगी बनाये जाने की आवश्यकता महसूस की गई। इस हेतु स्थल चयन की प्रक्रिया में संबंधित ग्राम /टोलों के प्रतिनिधि की भागीदारी भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

3. अतः राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में चापाकलों के निर्माण हेतु स्थल चयन में पारदर्शिता लाने के लिए पंचायत स्तर पर स्थल चयन समिति का गठन निम्नप्रकार से करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

(i) पंचायत अतर्गत संबंधित टोला/ टोलों के निर्वाचित वार्ड सदस्य — सदस्य
(ii) पंचायत सचिव — सदस्य
(iii) विभाग के कनीय अभियंता — संयोजक

4. चापाकलों के निर्माण हेतु स्थल चयन में संबंधित टोला के निर्वाचित वार्ड सदस्य की सहमति अनिवार्य होगी ।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों /विभागाध्यक्षों तथा त्रिस्तरीय पंचायतों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाये।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

25/5/07

(शशि शेखर शर्मा)
सचिव

ज्ञापांक– 6/आस्वा0–1–108/2001(खंड) –1774 पटना, दिनांक 26/11/07

प्रतिलिपिः–

सदस्य, राजस्व पर्षद/वित्त आयुक्त/अपर वित्त आयुक्त/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/सचिव, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन एवं पंचायत राज / मंत्रिमंडल सचिवालय/ आयुक्त एवं सचिव(सभी प्रशासी विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सभी विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सभी प्रमंडीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

...2007-08 Miscellaneous

4. सचिव /अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव/ मुख्य अभियंता (नागरिक)/ यांत्रिक/ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी / प्रशाखा–4 एवं 6, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अंचल / सभी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर इसकी 500 मुद्रित प्रतियाँ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करावें।

(शशि शेखर शर्मा)
सचिव

nction order 2-007-01 Miscellaneous